न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2023 G.C.M.S. No. 2023/351 दर्ज दिनांक : 06.09.2023

अपीलार्थी:

1. ढगलाराम पुत्र मोहन, जाति बावरी, निवासी रामावासकलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. तहसीलदार भूमिधारी जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 320/2019 व पुराने वाद संख्या 208/2018 बअनवान ढगलाराम बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 320/2019 व पुराने वाद संख्या 208/2018 बअनवान ढगलाराम बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट ने रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम रामावासकलां में खसरा नंबर 121 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नंबर 123 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि नैना के दो पुत्र रहे हैं, जिनका नाम सुजिया व भीवडा थें तथा सुजिया का उपरोक्त दोनों खसरों में 1/2 हिस्सा तथा भीवडा का 1/2 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज रहा, जो जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में दर्जसुदा है तथा इसके बाद सुजिया का नाम सुजिया की मृत्यु के बाद सवत् 2023 से 2026 से नामान्तरण संख्या 61 के जरिये फौतेदगी से हटाकर मोहन, ढगलिया, कनिया का नाम दर्ज किया गया, सुजिया का एकमात्र पुत्र मोहन ही था तथा इसके बाद जमाबन्दी

Scanned with OKEN Scanner

में इन तीनों का नाम रेकर्ड में चला आ रहा था तथा भीवडा की लाऔलाद मृत्यु होने से इसके हिस्से की कृषि भूमि में गलत इन्द्राज कर मोहन, ढगलिया व कन्या दर्ज कर दिया गया, जबकि कन्या नाम का कोई पुत्र नहीं था तथा अपीलांट मोहन का पुत्र है तथा अपीलाण्ट द्वारा मोहन के पुत्र होने के संबंध में दिनांक 31.05.1995 का परिचय पत्र, भामा शाह कार्ड, आधार कार्ड, मोहन का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया, परन्तु अदालत हाजा द्वारा इस दस्तावेज पर गौर नहीं किया गया तथा इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में द्वारा 43, 46, 47 की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 व अन्य जमाबन्दी पेश कर यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट मोहन का पुत्र है। इस कारण से रेकर्ड दुरूस्त कर अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी में अकेला दर्ज किया जावे तथा कनिया कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसका नाम जमाबन्दी से हटाया जावे, परन्तु इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। वाद दर्ज होने के बाद तहसीलदार द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज की तथा तहसीलदार द्वारा अपने जवाबदावा में कनिया नाम सुजा का कोई पुत्र नहीं होने का भी अपने जवाब दावा में कथन किया तथा ढगलाराम सुजा का पुत्र नहीं होकर मोहनलाल का पुत्र होना भी अपने जवाबदावा में दर्ज किया गया है तथा इसके अलावा जांच रिपोर्ट भी दिनांक 26.11.2019 को पटवारी द्वारा की गई तथा मजमेआम में भी इस बाबत् जांच की गई तो कनिया किसी प्रकार का पुत्र सुजा का नहीं होना पाया गया तथा अपीलाण्ट मोहन का पुत्र तथा सुजा का पुत्र होना पाया गया जो जांच रिपोर्ट खाली जगह दिनांक की हैं। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय को वाद अपीलाण्ट का डिक्री किया जाना चाहिये था, जो न कर विधि एवं तथ्य की भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज से अपीलाण्ट सुजा का पुत्र होना साबित है तथा कनिया नाम का कोई पुत्र नहीं होना भी पत्रावली से साबित है तथा इस संबंध में कोई खण्डनात्मक साक्ष्य भी रेकर्ड पर नहीं थीं एवं न ही तहसीलदार की ओर से भी कोई साक्ष्य खण्डनात्मक पेश की तो वाद अपीलाण्ट का डिक्री होने योग्य था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री नहीं कर वाद खारिज कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से साक्ष्य पेश की तथा दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये तथा अपीलाण्ट के गवाहान व प्रदर्श दस्तावेज से वाद पूर्णतया साबित था, रिबटल में कोई साक्ष्य नहीं थीं तो वाद अधिनस्थ न्यायालय को डिक्री किया जाना चाहिये था तथा घोषणा के वाद के लिए किसी प्रकार से कोई म्याद भी नहीं हैं तथा वाद दुरूस्ती रेकर्ड का व घोषणा का कभी भी पेश किया जाना कानूनन है तथा वादी अपीलाण्ट द्वारा अपने जिम्मे के तमाम तनकीयात भी साबित की। परन्तु अधिनस्थ

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कहा कि दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि पत्रावली में दस्तावेज साक्ष्य मौजूद थें। इस प्रकार की साक्ष्य व दस्तावेज के बाबत् अधिनस्थ न्यायालय का विवेचन था, यह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिपक्ष जो तहसीलदार है, इनके द्वारा भी अपीलाण्ट के वाद के तथ्य का खण्डन नहीं किया है तथा जो जांच रिपोर्ट आयी है, इससे भी अपीलाण्ट सूजिया का पौत्र है तथा तहसीलदार द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरान की 43 व 46 की कृषि भूमि में मोहन का पुत्र होना स्वीकृत होना मानकर मोहन के वारिस के रूप में अपीलाण्ट का नाम दर्ज किया गया तथा इन तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्य व दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हों, प्रदर्श होने के बावजूद भी इस पर कोई विवेचन नहीं किया गया व निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोंडेंट सरकार के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात मोहन, कनिया, ढगलिया के पि. सुजा के नाम की खातेदारी आराजी है। वादी ढगलाराम पुत्र मोहन द्वारा भूमिधारी तहसीलदार जैतारण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में खातेदार सुजा पुत्र नैना का 1/2 हिस्सा व भिवडा पुत्र नैना का 1/2 हिस्सा दर्ज है। सुजा की मृत्यु होने पर नामांतरण संख्या 61 द्वारा मोहन, ढगलिया व कनिया पि. सुजा दर्ज किया गया तथा भिवडा पुत्र नैना फौत होने पर नामांतरण संख्या 185 दिनांक 21.01.1983 को भिवडा के कोई वारिसान नहीं होने पर उसके भाई सुजा के वारिस मोहन, कनिया, ढगलिया पि. सुजा दर्ज किया गया। जो जमाबंदी संवत 31 से 34 से 2060–2063 दर्ज रहा। तत्पश्चात संवत 2060 से 2063 के बीच खातेदार मोहनलाल की मृत्यु होने पर आगामी जमाबंदी

Scanned with OKEN Scanner

संवत 2064 से 2067 में मोहनलाल के विधिक वारिस वादी ढगलाराम पुत्र मोहन इन्द्राज हुआ। शेष बदस्तूर रहा। सुजा के एकमात्र वारिस मोहनलाल था एवं मोहनलाल का एकमात्र वारिस ढगलाराम है। सुजा के ढगलिया व कनिया नाम का कोई वारिस नहीं था तथा न ही रामावासकलां गांव में इस नाम के कोई व्यक्ति है। सुजा की मृत्यु होने पर पुत्र व पौते का नाम जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया, जो गलत है। अतः जमाबंदी से कनिया, ढगलिया पि. सुजा का नाम हटाया जाकर वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी की साक्ष्य पूर्ण की जाकर साक्ष्य का समुचित विवेचन करते हुए वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया।

4. अपीलांट वादी का मुख्य उज्र यह है कि खातेदार सुजा के कनिया व ढगलिया नाम के कोई वारिस नहीं थें, बल्कि पुत्र मोहन था, जिसका पुत्र वादी ढगलाराम है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात में जमाबंदियों की प्रतियां तथा स्वयं के पहचान संबंधी दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए हैं। जिससे यह पुष्टि होती हैं कि वादी मोहन का पुत्र है। लेकिन प्रस्तुत दस्तावेजात से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती हैं कि सुजा के ढगलिया व कनिया नाम के कोई वारिस नहीं थें ? बल्कि सुजा की मृत्यु पर स्वीकृत फौतेदगी नामांतरण सुजा के वारिसान के रूप में मोहन, कनिया व ढगलिया का नाम दर्ज किया गया तथा सुजा के भाई भिवडा के लाऔलाद फौत होने पर फौतेदगी नामांतरण भी मोहन, कनिया व ढगलिया पि. सुजा के नाम स्वीकृत किया गया। इससे स्पष्ट है कि सुजा के वारिस के रूप में मोहन, कनिया व ढगलिया थें। संबंधित हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में केवल यह अंकित किया है कि वादी एवं ग्रामवासियों के कहे अनुसार ग्राम रामावासकलां में कनिया, ढगलिया पि. सुजा नाम के व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन इसका यह कतई तात्पर्य नहीं होता कि कनिया, ढगलिया सुजा के वारिसान नहीं हों। यह भी संभव है कि किसी प्रयोजन से उक्त व्यक्ति अन्यत्र प्रवास या निवास कर रहे होंगे। लेकिन इससे इनका सुजा के वारिसान नहीं होना साबित नहीं होता है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र खारिज करने में विधिक रूप से कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 320/2019 व पुराने वाद संख्या 208/2018 बअनवान ढगलाराम बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2023 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner